न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 93 सन 2021
अनवान :–

1. नेतराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सोभाराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. मामचन्द पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
4. गिता पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
5. मनी पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
6. मैना पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
7. सन्तोष पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
8. सावत्री पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
9. गुडडी पुत्री चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
10. जगदीश पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
11. नरसिह पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
12. मेघाराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
13. रतिराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
14. रामचन्द्र पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
15. मिरा पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
16. ग्यारसी पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
17. धापा पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
18. विमला पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
19. सजना पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर

तरतीवी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 30/03/2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा कानसर के खसरा नम्बर 134 की 50.00 बीधा भूमि दिनांक 19.07.1968 को दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार साकिन कानसर तहसील नोहर को आवटित की गई थी आवटन से लेकर आवटन की गई भूमि आवंटी दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार के कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

वाद भूमि दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार को आवंटित भूमि है जो आवंटी दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है आवंटी के कंब्जा काश्त में चली आ रही तत्पश्चात दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार के देहान्त होने पर उसके वारिसान वादीगण एव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 के नाम दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मौजा कानसर के साविका खसरा न0 134 की कुल 50.00 बीधा भूमि को भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश के दौरान हाल खसरा न0 23 मिन की 40.00 बीधा एवं खसरा न0 1510/319 की 11.00 बीधा में पैमुद किये गये थे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

आवंटी दानाराम चेतनराम पि0 फुसाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के रूप में दर्ज है।

उक्त भूमि आवटी दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार को आवंटन होने से लेकर आज तक पूर्व में आवंटी दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार के कब्जा काश्त में रही आवंटी के देहान्त होने पर उसके वारिसान के वाद भूमि कब्जा काश्त मे है एवं आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की गई थी वाद भूमि आवंटन होने के 10 वर्षो वाद स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जिससे वादी के खातेदार अधिकारो का हनन होता है वादीगण आवंटित भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिये वाद भूमि वादी को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे किन्तु इन्कार हो गये इसलिये वादी ने अपने हकों की घोषणा करवाने के लिये वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा नम्बर 134 की 50.00 बीधा हाल खसरा न0 23 मिन की 40 बीधा एवं खसरा न0 1510/319 की 11.00 बीधा भूमि को दानाराम चेतनराम के वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,10 ता 14 अपने हक हिस्सा के अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है इसलिये वाद भूमि के खातेदारी अधिकार उपनिवेशन नियमो/परिपत्रों के अधीन ही वादी पाने का अधिकारी है एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के खसरा नम्बर 134 की 50.00 बीधा भूमि दिनांक 19.07.1968 को दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार साकिन कानसर तहसील नोहर को आवंटित की गई थी आवटन से लेकर आवटन की गई भूमि आवंटी दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार के कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

वाद भूमि दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार को आवंटित भूमि है जो आवंटी दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है आवंटी के कंब्जा काश्त में चली आ रही तत्पश्चात दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार के देहान्त होने पर उसके वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 के नाम दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 134 की कुल 50.00 बीधा भूमि को भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश के दौरान हाल खसरा न0 23 मिन की 40.00 बीधा एवं खसरा न0 1510/319 की 11.00 बीधा में पैमुद किये गये थे।

आवंटी दानाराम चेतनराम पि0 फुसाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के रूप में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ,15 ता 19 जो वादीगण की बहने है ने निवेदन किया जा चुका है कि उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,10 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि जिसे बतोर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

उक्त भूमि आवटी दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार को आवंटन होने से लेकर आज तक पूर्व में आवंटी दानाराम , चेतनराम वल्द फूसाराम जाति चमार के कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

काश्त में रही आवंटी के देहान्त होने पर उसके वारिसान के वाद भूमि कब्जा काश्त मे है एवं आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की गई थी वाद भूमि आवंटन होने के 10 वर्षो वाद स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जिससे वादी के खातेदार अधिकारो का हनन होता है वादीगण आवंटित भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है ।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया वादी के द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश के अनुसार रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 134 की 50 बीघा भूमि दिनांक 19.07.1968 को दानाराम , चेतनराम पि0 फुसाराम को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

गत पैमाईश के दौरान भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 123 ,134 ,135 की कुल 140.18 बीघा भूमि को हाल खसरा न0 23 की 140.18 बीघा में पैमुद किया गया था जिसके सम्बध में किसी को कोई ऐतराज नही है।

दानाराम चेतनराम पि0 फुसाराम जाति मेघवाल को रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 134 की 50.00 बीघा के हाल खसरा न0 23 मिन की 40.00 बीघा भूमि में परिर्वतन /पैमुद किया गया है जो आवंटन आदेश एवं भू0प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल से साबित है ।

वादी का कथन है कि वह 50 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है स्वीकार योग्य नही है वादी के द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश के अनुसार साबिका खसरा न0 134 की 50.00 बीघा भूमि जो हाल खसरा न0 23 मिन में परिर्वतन हुआ है जो आवंटन आदेश से सबित है साबिका खसरा न0 319 के हाल खसरा न0 1510/319 की 11.00 बीघा भूमि आवंटन आदेश में अंकित नही है बल्की नामान्तकरण संख्या 33 के जरिये गैरखातेदार दर्ज की गई है जिसके सम्बध में वादी ने कोई साक्ष्य पेश नही किया की नामान्तकरण किस आधार पर दर्ज हुआ है वादी नामान्तकरण में किस आधार पर गैरखातेदारी दर्ज हुई है साबित नही करने के कारण साबिका खसरा न0 319 हाल खसरा न0 1510/319 की 11.00 बीघा भूमि के सम्बध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वादीगण का कथन है आवंटी दानाराम चेतनराम पि0 फुसाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के रूप में दर्ज है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 ने स्वीकर किया गया किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया है तथा वादीगण का कथन है प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ,15 ता 19 जो वादीगण की बहने है ने निवेदन किया जा चुका है कि उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,10 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि जिसे बतोर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे वादीगण के कथनों के स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ,15 ता 19 ने शपथ पत्र पेश किया जा चुका है।

रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा 134 की 50.00 बीघा भूमि हाल खसरा न0 23 मिन की 40.00 बीघा भूमि दानाराम चेतनराम पि0 फुसाराम को दिनांक 19.07.1968 को आवंटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है।

आवंटी दानाराम चेतनराम पि0 फुसाराम को वाद भूमि दिनांक 19.07.1968 को आवंटित की गई थी जो पूर्व में आवंटि दानाराम चेतनराम पि0 फुसाराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है आवंटी के देहान्त होने के वाद वाद भूमि उनके वारिसान के कब्जा काश्त में रही जो प्रस्तुत गिरदावारीयों/तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि आवंटन के समय से आवंटी/वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है पर किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया अर्थात वाद भूमि आवंटन से लेकर आज तक आंवटी /वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसे दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी दिनांक 19.07.1968 के सात वर्ष वाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज का कथन है कि वादी को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

पेरोकार राज का कथन उचित प्रतित होता है वाद भूमि वादी को बारानी क्षेत्र में आवटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदार पाने के अधिकारी है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में समय समय पर परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वादी सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) col/2005 जयपुर दिनांक 28.05.2007 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदारी अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी दानाराम चेतनराम पि0 फुसाराम को रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 834/816 के खसरा न0 23/5 की 10.117हैक भूमि दिनांक 19.07.1968 को आंवटन की गई थी जो वर्तमान में दानाराम चेतनराम पि0 फुसाराम के वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 के दर्ज है जो आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है।

पेरोकार राज के अनुसार वाद भूमि पूर्व में आवंटी वर्तमान में आवंटी के वारिसान के कब्जा काश्त में आदिनांक तक चली आ रही है किसी प्रकार का स्थगन आदेश विवाद नही है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

नगर पालिका पेराफेरी में नही है ना ही विशेष आंवटन की सुची में शामिल है वादी /आवंटी के पास वाद भूमि को मिलाने पर सीलिग सीमा से कम भूमि है वादी /आवंटी अनुसूचित जाति वर्ग (मेधवाल) जाति का सदस्य है एवं वाद भूमि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

वादी /आवंटी को आवंटन की गई भूमि पर तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार किया प्रकार का विवाद एवं पुख्ता आवंटन की अभिशषा एवं आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं परिपत्रों के अधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 834/816 के खसरा न0 23/5 की कुल 10.117हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के पर 1/2 हिस्सा में वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 बहिब के एवं 1/2 हिस्सा में वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आरएएस)

अनवान :–

1. नेतराम पुत्र दानाराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर ।
2 सोभाराम पुत्र चेतनराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2 मामचन्द पुत्र चेतनराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3 कमला पुत्री चेतनराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
4 गिता पुत्री चेतनराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
5 मनी पुत्री चेतनराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
6 मैना पुत्री चेतनराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
7 सन्तोष पुत्री चेतनराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
8 सावत्री पुत्री चेतनराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
9 गुडडी पुत्री चेतनराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
10 जगदीश पुत्र दानाराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
11 नरसिह पुत्र दानाराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
12 मेधाराम पुत्र दानाराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
13 रतिराम पुत्र दानाराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
14 रामचन्द्र पुत्र दानाराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
15 मिरा पुत्री दानाराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
16 ग्यारसी पुत्री दानाराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
17 धापा पुत्री दानाराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
18 विमला पुत्री दानाराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
19 सजना पुत्री दानाराम जाति मेधवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 93 सन 2021 निर्णय दिनांक – 30/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 834/816 के खसरा न0 23/5 की कुल 10.117हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के पर 1/2 हिस्सा में वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 बहिव के एवं 1/2 हिस्सा में वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner